भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1961

18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधिक वस्तुओं को शामिल करना

1961.श्रीमती फूलो देवी नेतम:

क्या **उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि;
(क) वर्तमान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से राशन कार्ड धारकों के लिए कौन-कौन सी खाद्य वस्तुएं उपलब्ध हैं तथा इनकी दरें क्या हैं;
(ख) क्या सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत दिए जा रहे खाद्यान्नों के अलावा अनाज जैसी और वस्तुओं का भी वितरण किए जाने का प्रस्ताव है; और
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री

(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (एनएफएसए) के प्रावधानों के अनुसार संचालित होती है। अधिनियम के तहत, "खाद्यान्न" शब्द को चावल, गेहूं या मोटे अनाज या इनके किसी भी संयोजन के रूप में परिभाषित किया गया है, जो समय-समय पर केंद्र सरकार के आदेश द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मानदंडों के अनुरूप हो।

अधिनियम के तहत, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) के तहत आने वाले परिवार, जो सबसे निर्धन हैं, कानूनी तौर पर प्रति परिवार प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न प्राप्त करने के पात्र हैं, जबकि प्राथमिकता वाले परिवार प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न पाने के पात्र हैं।

(ख) और (ग): वर्तमान में, अधिनियम के तहत अनाज की और अधिक वस्तुओं को शामिल करने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

*****